

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 598 / 2004

तारीख रजु 26.08.2004

उनवान

रफीक मोहम्मद पुत्र शफी जाति मुसलमान वगैरहा निवासी हाडौली तहसील हिण्डौन जिला करौली

-----वादीगण(07)

बनाम

- 1.सरकार जरिसे जिला कलक्टर करौली।
- 2.तहसीलदार तहसील हिण्डौन।

-----प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :-श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल एडवोकेट।
प्रतिवादीगण की ओर से :-पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 13.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बाबत इन्द्राज दुरुस्ती, इस्तकरार हक व रथाई निषेधाज्ञा ग्राम हाडौली तहसील तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 732, 733, 734, 730, 751, 731 के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाने के उपरांत भी वादी पक्ष अनुपस्थित है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 598/2004 रफीक मोहम्मद बनाम सरकार अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

